



नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका
जुलाई संस्करण 2017



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव
महापौर

संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव
महापौर
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



महापौर देवेन्द्र यादव ने फौजी नगर का भ्रमण कर व्याप्त समस्याओं से रूबरू हुए
भिलाईनगर/ महापौर देवेन्द्र यादव ने बरसात में निचली बस्तियों में होने वाले कठिनाईयों से अवगत होने वार्ड 27 फौजी नगर का भ्रमण कर व्याप्त समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने नाली सफाई की जानकारी लेकर स्वच्छता निरीक्षक को निर्देशित किया कि नाली सफाई में किसी प्रकार का व्यावधान आने पर नाली के उपर हुए अवैध कब्जों को हटाकर नाली के तली से सफाई करें। विशेष रूप से झिल्ली पन्नी प्लास्टिक को नाली में एकत्र नहीं होने दें। पुलिया के नीचे जमे कचरों को हटावें ताकि पानी जाम की स्थिति उत्पन्न न हों।

महापौर ने सड़क प्रकाश की जानकारी लेकर बंद अथवा खराब लाईट को तत्काल बदलने को कहा। सुलभ शौचालय का प्रतिदिन सफाई कर बिलचिंग का छिड़काव करने को कहा। मोहल्लेवासियों ने क्षतिग्रस्त पुलिया संधारण का मांग श्री यादव के समक्ष रखा जिस पर उन्होंने आयुक्त के 0एल0 चौहान से दुरभाष पर पुलिया को शीघ्र संधारित करने हेतु चर्चा किये।

भ्रमण में जनसम्पर्क अधिकारी अशोक पहाड़िया, जोन आयुक्त आर.के. पद्मवार, उप अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता संजय अग्रवाल, स्वच्छता निरीक्षक महेश पाण्डेय, वार्डवासी अनिल सिंह, मानसिंह, श्रीमती सुनीता शेण्डे, संगीता साहू, विजया शाह, संदीप यादव, सहित निगम का स्वास्थ्य तथा राजस्व का अमला उपस्थित रहा।



नगर पालिक निगम भिलाई



निगम जनदर्शन के संबंध में आवेदन

भिलाईनगर/ निगम जनदर्शन में आयुक्त के0एल0 चौहान को निगम के नागरिकों द्वारा 77 आवेदन प्राप्त हुए। पूर्व के आवेदनों के निराकृत जानकारी भी आवेदकों को दी गई। आयुक्त को प्राप्त आवेदनों में मांग के संबंध में 64 आवेदन प्राप्त हुए, वहीं समस्याओं के 20 आवेदन प्राप्त हुए। मांग के आवेदनों को जोन आयुक्त द्वारा स्थल का निरीक्षण कर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने कहा, साथ ही देखेंगे की उक्त आवेदन मांग सुराज के आवेदन में भी तो नहीं है क्योंकि सुराज के आवेदनों के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं। आयुक्त के0एल0 चौहान ने जोन आयुक्तों से कहा कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि नये अतिक्रमण व निर्माण न हो। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही करें। वार्ड 7 के पार्षद ने विकास कार्यों को लेकर, वार्ड 18 के पार्षद मजदुर कार्ड, व वार्ड 43 के पार्षद ने आंगनबाड़ी की जांच में जाने व वार्ड 70 की पार्षद ने भी आज आयुक्त को आवेदन दिये। संधारण के कार्यों को शीघ्र करने के लिए जोन आयुक्त को कहा जिसमें साप्ताहिक बाजारों की व्यवस्था व सड़कों के संधारण कार्य को शीघ्र करने कहा ताकि बारिश में असुविधा न हों। आयुक्त के0एल0 चौहान ने विद्युत संधारण, सड़क प्रकाश व्यवस्था, हेतु जोन आयुक्तों को अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए शीघ्र विद्युत प्रकाश व्यवस्था का संधारण व केन्द्रीय कोषागार को निविदा आमंत्रित करने कहा, ताकि विद्युत प्रकाश व्यवस्था की संधारण कार्यवाही तुरंत हो। जनदर्शन में आयुक्त 11:00 बजे से 02:00 बजे तक उपस्थित रहें। जनदर्शन 11:00 बजे से 01:00 बजे तक होता है। जनदर्शन में निगम के विभाग प्रमुख व जोन आयुक्त उपस्थित थे।



नगर पालिक निगम भिलाई



पार्किंग व्यवस्था एवं बेसमेंट पर यातायात पुलिस एवं नगर निगम भिलाई द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान, काटा गया 11 हजार 500 का चालान

भिलाईनगर/ जिला प्रशासन के आदेश पर यातायात पुलिस एवं नगर निगम भिलाई द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने चन्द्रा मौर्य चैक से अंडर ब्रिज तक दोनों साईड में खड़े ठेलें जो पार्किंग व्यवस्था को बाधित कर रहे थे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी सभी को हटवाया गया । रोड में खड़ी मोटर सायकल, गाड़िया, विज्ञापन बोर्ड को हटाया गया । मौर्या टाकिज के प्रबंधन द्वारा सामने आम पार्किंग व्यवस्था को कब्जा को टाँकिज का पार्किंग स्टैण्ड बनाकर रखा था जिसे हटाया गया। एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा द्वारा नाली के उपर रोड पर अवैध रूप से जनरेटर रखा गया था साथ ही चारों तरफ गंदगी फैलाया गया था। सड़क बाधा शुल्क के रूप में 6 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाकर वसुली की कार्यवाही की गई। सभी के ठेले और कब्जे को हटाकर पार्किंग हेतु जगह खाली करवाया गया। फायर बिग्रेड गाड़ी घुसने का भी कहीं रास्ता नहीं है। आयुक्त के0एल0 चौहान ने निगम के अधिकारी, कर्मचारियों को कहा कि जिन स्थानों पर कार्यवाही कर व्यवस्था बनाई जा रही है वहा दोबारा कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होने व्यापारियों से कहा कि वे अपनी वाहनों को कतारबद्ध लगावें ताकि व्यवसायिक परिसर में व्यवस्था बनी रहे। जिन प्रतिष्ठानों को पूर्व में हिदायत व नोटिस दी गई है वे व्यवस्था में सहयोग करें नही तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सभी का सहयोग अपेक्षित है।



नगर पालिक निगम भिलाई



जप्ती के साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग बेचने वाले विक्रेता को पकड़कर भट्टी थाने के हवाले भिलाईनगर/ छ0ग0 शासन के नगरीय प्रशासन विकास विभाग के तहत प्रकाशित छ0ग0 राजपत्र के आदेश क्रमांक 643 दिनांक 24 दिसम्बर 2014 के अनुसार 01 जनवरी 2015 से छ0ग0 राज्य में कोई उद्योग प्लास्टिक कैरीगैग का उत्पादन नहीं करेगा और कोई व्यक्ति, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता बेंचता है या सामान रखकर देता है उसपर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना है। निगम भिलाई द्वारा समय-समय पर बेचने वालों पर कार्यवाही की जाती रही है। आयुक्त के0एल0 चौहान के आदेश पर नगर पालिक निगम भिलाई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की संयुक्त कार्यवाही दल ने शहर में बेचे जा रहे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपर कार्यवाही करने के लिए आज सुबह 7 बजे चाईना मार्केट बोरिया गेट के सामने दबिश दी। ठेले, खोमचे, अस्थाई दुकान लगाकर बेचने वाले दुकानदारों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग जब्त किये। पुछने पर पता चला कि नमकीन मिक्चर बेचने वाला विकास साव केम्प 01 शास्त्री चैक निवासी रोज लाकर प्लास्टिक बेचता है। दल द्वारा दबाव पूर्वक छानबीन करने पर मिक्चर पैकेट के नीचे 37 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग मिला, उसने स्वीकार किया कि, जानकारी होने के बाद भी मैं विगत 02 वर्ष से लाकर बेचता हुं मेरी हर जगह पहुंच है, सबको पता है मैं क्या करता हुं।



नगर पालिक निगम भिलाई



बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, महावृक्षारोपण पर्व निगम भिलाई क्षेत्र मे

भिलाईनगर/भिलाई क्षेत्र को हराभरा रखने एवं प्रदुषण मुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए छ0ग0 शासन की केबिनेट मंत्री रमशीला साहू, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, सभापति पी. श्यामसुन्दर राव, सभी जोन के जोन अध्यक्ष, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्कूल कालेज के छात्र-छात्राओं के साथ नगर निगम भिलाई के आयुक्त के0एल0 चौहान ने सबके सहयोग से 10 हजार से अधिक वृक्षारोपण नगर के विभिन्न जोनों में सुबह 9 बजे से किया। प्रमुख वृक्षों में बाटलपाम, जामुन, मुंन्गा, स्टोपीटीमा, टीकोमा, आदि प्रकार के वृक्ष लगाये गये। इस बार महावृक्षारोपण अभियान में नगर निगम भिलाई द्वारा यह प्रयास किया गया कि शहर के सभी क्षेत्रों को हराभरा रखने के लिए अलग-अलग जगहों पर पौधा रोपण किया गया। जोन आयुक्त अपने-अपने जोनों में जनप्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं, स्कूल काॅलेज के प्राचार्य, शिक्षकजनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों के सहयोग से चिन्हित स्थानों में वृक्षारोपण करवाये। विधायक भसीन ने कहा कि वृक्षारोपण करने के साथ-साथ वृक्षों को बचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हुडको क्षेत्र के शिव मंदिर के पास तालाब के किनारे वृक्षारोपण करते हुए आयुक्त के0एल0 चौहान ने पेड़ लगाने के तरीके भी बच्चों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को बताये। पहले गड्ढा खोदे उसके बाद उसी मिट्टी से उस गड्ढे को पाटकर दबा दें, फिर उसी स्थल पर थोड़ा सा गड्ढा पौधे का जड़ जाने तक करके पौधे को लगा देवें उपर तक मिट्टी डाल दें उसके बाद थोड़ा सा पानी अवश्य डालें।



नगर पालिक निगम भिलाई



घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य महिला स्व-सहायता समुह के सदस्यों द्वारा होगा

भिलाईनगर/मिशन क्लीन सिटी के तहत शासन के योजना अनुसार घर-घर से गीला कचरा, सुखा कचरा अलग-अलग संग्रहण का कार्य महिला स्व-सहायता समुह के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक महिला समुह के 02 सदस्य को 200 घरों से कचरा संग्रहण करने पर पांच-पांच हजार रुपये कुल 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होगा। 02 महिला समुह के बीच में 10 हजार रुपये के साथ-साथ सुखा कचरा बेचने से भी अच्छा आय होगा। लगभग 8 हजार रुपये प्रति सदस्य कमा सकती हैं। आयुक्त के 0एल0 चौहान ने निगम सभागार में महिला समुह के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए गीले कचरे एवं सुखे कचरे के संग्रहण की विधि को बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि निगम द्वारा महिला समुहों को सभी सुविधाएं प्रदान की जायेगी। 23,24 व 25 जुलाई तक घर-घर जाकर 200 घरों का चयन कर घर की महिलाओं को गीला कचरा सुखा कचरा अलग-अलग रखने के बारे में बतायेंगे। 26 जुलाई को सामुहिक बैठक के बाद सभी का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जायेगा। कोई भी समस्या होने पर निगम सबको मदद करेगा। समुह के सदस्यों को यह समझाया गया कि पहले सभी लोग आज से ही अपने घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग इस्टबीन में संग्रहण करें पहले खुद में आदत डालें फिर दूसरों को समझाना आसान होगा। महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त चौहान ने नगर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, जागरुक महिलाओं एवं बच्चों से अपील की है कि सभी के सहयोग से हमारा नगर स्वच्छ व सुन्दर बनेगा। इस अवसर पर निगम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।



नगर पालिक निगम भिलाई



निगम जनदर्शन में लोगों की समस्याओं से अवगत हुए के0एल0 चौहान

भिलाईनगर/ निगम जनदर्शन के प्रारंभ हो जाने से नागरिकों को अपनी मांग और समस्याओं से सीधे आयुक्त को अवगत कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नागरिकों से प्राप्त आवेदनों को वहीं संबंधित अधिकारी को सौंपा जाता है। उक्त स्थापित व्यवस्था से नागरिक लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित होने वाले जनदर्शन में आज 74 आवेदन जमा हुए, आवेदनों पर जनदर्शन का टोकन नम्बर डालकर संबंधित जोन तथा विभाग को आयुक्त के टीप के साथ भेजा गया है। आयुक्त चौहान ने अवैध कब्जा संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए भवन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, को समन्वय बनाकर तत्काल हटवाने के निर्देश दिये। आमपाली वनांचल सिटी से संबंधित शिकायत लेकर स्थानीय पार्षद उपस्थित हुए इसके निराकरण के लिए टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के अधिकारी, भवन अनुज्ञा अधिकारी, जोन आयुक्त की एक संयुक्त दल गठन कर स्थल पर हुए नियम विपरित कार्यों का निरीक्षण कर कार्यवाही करने को निर्देशित किये। प्राप्त आवेदनों में ज्यादातर अवैध कब्जा, रोड नाली निर्माण, गार्डन का रखरखाव, बी0पी0एल0 राशन कार्ड, आदि प्रमुख मांग है। शहर में भैंस खटाल से उठने वाली गंदगी के निस्तारी के लिए भी समुह में आकर चर्चा किये, सभी जोन आयुक्तों को निर्देशित किया गया कि 7 दिवस के अंदर आयुक्त जनदर्शन संबंधित आवेदनों का निराकरण करना अनिवार्य है जो आवेदन निर्माण से संबंधित है उसका प्राक्कलन तैयार कर राशि स्वीकृत हेतु शासन को भेजा जावे समस्याओं का निराकरण मौके पर पहुंचकर किया जावे।



नगर पालिक निगम भिलाई



रोडवेज का व्यवसायिक काम्प्लेक्स का सील बंद किया गया

भिलाईनगर/ निगम के भवन अनुज्ञा शाखा की टीम द्वारा शहर के बड़े होटल एवं व्यवसायिक परिसर में बने बेसमेंट की जांच कार्यवाही के दूसरे दिन आकाश गंगा सुपेला के एक होटल तथा दो व्यवसायिक भवन के बेसमेंट को पार्किंग उपयोग नहीं करते पाये जाने पर सील बंद किया गया। 6 भवनों के सामने खड़े वाहनों को रोड से हटाकर बेसमेंट में खड़े करवाया गया। जिलाधीश उमेश अग्रवाल तथा आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर निगम की टीम ने बुधवार को बेसमेंट जांच की कार्यवाही के दूसरे दिन सुपेला आकाश गंगा में लम्बे समय से चल रहे अभिनंदन होटल को आज चालु हालत में किचन में रखे गीले खाद्य सामग्री को हटवाकर सील बंद किया गया। इसके पूर्व मंगलवार को निगम की जांच टीम ने होटल के संचालक को भवन के दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा गया था किन्तु उनके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई आज कार्यवाही से पूर्व होटल के मेनेजर से बेसमेंट उपयोगिता की दस्तावेज मांगे गये तो उन्होंने कागजात नहीं होने की बात कहे जाने पर निगम की टीम सील बंद की कार्यवाही किया। ओपपो मोबाईल शाॅप का भवन के बेसमेंट में ताला लगा पाया गया जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उसे गोडाउन के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिसे सील बंद कर दिया गया। सिंह रोडवेज का व्यवसायिक काम्प्लेक्स आकाश गंगा के बेसमेंट का उपयोग दुकानदार द्वारा गोडाउन के रूप में किया जा रहा था उसे भी सील बंद किया गया है।



नगर पालिक निगम भिलाई



प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कार्यवाही की गई

भिलाईनगर/ आयुक्त के 0 एल 0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर किये गये कार्यवाही के बाद निगम ने 8 दुकानों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अधिन दुर्ग न्यायालय में परिवाद निगम के अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। निगम ने सम्पूर्ण क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह कार्यवाही किया जा रहा है जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। नगर निगम द्वारा लगतार समझाई के बावजूद तथा छामापार कार्यवाही तथा जुर्मना लगाने के बाद भी जिन प्रतिष्ठानों में अकास्मिक जांच में प्रतिबंधित प्लास्टिक भण्डार तथा विक्रय व उपयोग करते पाये गये संस्थानों के संचालक के 0पी 0दस्पा भिलाई किराना स्टोर्स, बट्टीप्रसाद इंदौर सेव भण्डार, बबन प्रसाद साईं दोसा सेन्टर, लक्ष्मी शंकर किराना स्टोर्स, निरंजन साहू छोट्टू स्वीटस, नरसिंह साहू चाय नास्ता सेन्टर, परदेशी चैक रामनगर, राकेश साव राकेश किराना स्टोर लक्ष्मी मार्केट के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायालय दण्डाधिकारी दुर्ग स्मिता रत्नावत के कोर्ट में तथा मोहम्मद इस्लाम सिद्धिकी टेडर्स मछली मार्केट कैम्प 2 माननीय न्यायालय मोहन सिंह कोराम के समक्ष निगम के अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया गया है। वही विश्वनाथ साहू एवं आशीष कुमार खुर्सीपार के विरुद्ध सोमावार को प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध किये जा रहे कार्यवाही के तीसरे दिन निगम के समस्त 6 जोन में टीम बना कर शनिवार को भी कार्यवाही किया गया।



नगर पालिक निगम भिलाई



भिलाईनगर/ आयुक्त के0 एल0 चौहान के निर्देश पर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर किये गये कार्यवाही के बाद निगम ने 8 दुकानों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के अधिन दुर्ग न्यायालय में परिवाद निगम के अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । संस्थानों के संचालक के0पी0दस्पा भिलाई किराना स्टोर्स, बट्टीप्रसाद इंदौर सेव भण्डार, बबन प्रसाद साईं दोसा सेन्टर, लक्ष्मी शंकर किराना स्टोर्स, निरंजन साहू छोटू स्वीट्स, नरसिंह साहू चाय नास्ता सेन्टर, परदेशी चैक रामनगर, राकेश साव राकेश किराना स्टोर लक्ष्मी मार्केट के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायालय दण्डाधिकारी दुर्ग स्मिता रत्नावत के कोर्ट में तथा मोहम्मद इस्लाम सिद्धिकी टेडर्स मछली मार्केट कैम्प 2 माननीय न्यायालय मोहन सिंह कोराम के समक्ष निगम के अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।



Editorial Board

श्री कुमार लाल चौहान
आयुक्त (आई.ए.एस.)
नगर पालिक निगम
भिलाई

Contact & Address

श्री अशोक पहाड़िया
जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

